न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
475/2022	21.11.2022	25.05.2023

उनवान

1. बस्तीराम पुत्र भोमाराम जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र भोमाराम जाति अहीर
3. ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति अहीर
4. ताराचन्द पुत्र भोमाराम जाति अहीर
5. विकास पुत्र हरचन्द पौत्र भोमाराम जाति अहीर
6. विपिन पुत्र हरचन्द जाति अहीर
7. शीला देवी पत्नी हरचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह.नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
2. अभयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
3. बसन्ती पत्नी सुल्तानसिंह जाति अहीर
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
5. विनोद कुमार पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
6. कमलेश देवी पत्नी मूलचन्द जाति अहीर
7. सुरेन्द्र पुत्र मुलचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना जिला अलवर।
8. उपपंजीयक,नीमराना।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

10. अजीत सिंह पुत्र फुलचन्द जाति अहीर
11. कृष्णा देवी पत्नी फुलचन्द जाति अहीर
12. मधुबाला पुत्री फुलचन्द जाति अहीर
13. यादव राजेन्द्र भाई पुत्र फुलचन्द जाति अहीर
14. शर्मिला पुत्री फुलचन्द जाति अहीर
15. सुमित्रा पुत्री फुलचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना जिला अलवर।
16. बिमला पुत्री सरदारा जाति अहीर
17. हरीसिंह पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासीयान हुड़िया कलां तह0 नीमाराना।

तर0प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकारारहक व दुरूस्ती इंद्राज एंव हु0ई0 दवामी डिक्री अंतर्गत धारा 88,89,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:–

1. श्री मुकेश कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.साबिक 159मिन/0–15 बिस्वा,159मिन/,258/0–19बिस्वा,258 मिन,258 मिन,296 मिन/0–18 बिस्वा,296मिन जिसका हाल ख0नं0 354/0.15,355/0.06,542/0.14,548/0.07,549/0.09,630/0.08,631/0.09 व 634/0.10 हैक्टर वाके ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना

अधिकारी
(अलवर)

Sidd/2023

के मुताबिक जमाबंदी साबिक रिकॉर्ड संवत 2020 व 2029 व 2033 के सुल्तान,मुलचन्द,फुलचन्द पिता भगवानसिंह संभाग 1/4,भोमाराम,पोहकर,सरदारा पिता रामरख 3/4 भाग के खातेदार काश्तकार थे। तथा इसी अनुसार काबिज रह कर काश्त करते आ रहे है। रामरख के परिवार का सजरा वाद मे अंकित किया जा राह है।

2. मुताबिक सजरा व राजस्व रिकॉर्ड फुलचन्द,मूलचन्द,सुलतानसिंह पुत्रान भगवान 1/4 भाग पर यानि की प्रत्यके का 1/12,1/12 भाग व 1/4 भाग पर भोमाराम व 1/4 भाग पर पोहकर व 1/4 भाग पर सरदारा काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। पोहकर पुत्र रामरख ने अपने 1/4 भाग मे से 2/3 भाग यानि 1/6 भाग का बेचान मूलचन्द पुत्र भगवान व 1/3 यानि 1/12 भाग फुलचन्द ,सुल्तान पुत्रान भगवान को कर दिया। जिससे फुलचन्द 1/8 भाग पर व मूलचन्द 1/4 भाग पर व सुल्तान 1/8 भाग पर जो मुताबिक बेचान के इंतकाल सं0 78 सही दर्ज हुआ है। फूलचन्द के फौत होने के पश्चात फूलचन्द के वारिसान तर0प्रति0 सं0 10 लगा0 15 कुल 1/8 भाग पर यानि की प्रत्येक 1/48,1/48 भाग पर व मूलचन्द के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 6,7 कुल1/4 भाग पर व सुल्तान के फौत होने पश्चात सुल्तान के वारिसान प्रतिवादी सं0 1लगा0 05 व देशराज पुत्र सुलतान जो देशराज अविवाहित फौत होने के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 लगा0 05 प्रत्येक 1/40,1/40 भाग पर व भोमा के फौत होने पर भोमाराम के वारिसान वादी सं0 01 लगा. 04 व हरचंद पुत्र भोमाराम कुल 1/4 भाग पर यानि वादी सं0 01 लगा0 04 प्रत्येक 1/20,1/20 भाग पर व वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक 1/60,1/60भाग पर व सरदारा के फौत होने पर प्रतिवादीगण सं. 16,17 कुल 1/4 भाग पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है व मौके पर काबिज हैं। इस कारण वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड देखन व नकले प्राप्त करने की आवश्यकता नही हुई दिनांक 30.08.2022 को हम वादीगण ने किसान केडिट कार्ड की पत्रावली बनवाने के लिए पटवारी हल्का से मिले तब पटवारी हल्का ने बताया कि वादी सं0 01 लगा. 04 व मृतक हरचंद प्रत्यके भाई का 1/40,1/40 भाग रिकॉर्ड मे है। जिस पर हम वादीगण ने नकले प्राप्त की तब पता चला कि बंदोबस्त विभाग के कर्मचारीयों ने हाल ख.नं. बनाते समय बिना मौके पर कब्जा की जांच किए बिना साबिक रिकॉर्ड का अवलोन किए बिना पुछताछ के हम वादीगण का हिस्सा कम कर प्रतिवादीगण की खातेदारी मे बढा दिया जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून व साबिक रिकॉर्ड के है।

3. समस्त राजस्व दस्तावेजो की नकले प्राप्त कर प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का राजस्व इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए कहा तो पहले तो हॉ की लेकिन दिनांक 10.11.2022 को साफ इंनकार हो गए जिस सूरत मे दावा इस्तकारार हक किया जाना लाजिम आया है। वादीगण इस आशय की डिक्री प्राप्त करने के मुस्तहक है कि आराजी मुतनाजा के मुताबिक साबिक रिकार्ड परिवार सजरा के वादी सं. 01 लगा. 04 प्रत्यके का हिस्सा 1/20,1/20,व वादी सं. 05 लगा. 07 कि पिता/पति मृतक हरचंद का 1/20 भाग, प्रतिवादी सं0 1/5 व देशराज पुत्र सुल्तानसिंह का 1/8 भाग यानि जो देशराज अविवाहित फौत हो गया जिससे प्रतिवादीगण सं 1लगा.5 प्रत्येक का 1/40,1/40 भाग व प्रतिवादी सं. 6,7 कुल 1/4 भाव व तर0प्रति0 सं. 10 लगा.द 15 का कुल 1/8 भाग व तर0प्रति0 16,17 कुल 1/4 भाग दर्ज किया जावे।

4. प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 05 गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा अपनी आराजी मे शामिल कर दिगर लोगों को बेचान करने ना करे,इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

5. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज बहक वादीगण एंव तर0प्रति विरूद्व असल प्रतिवादीगण इस आशय कि सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल

354,355,542,548,549,630,631,643 वाके ग्राम हुडिया कलां तह0नीमराना का मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0 07 के हिस्से मे बढाया हुआ है को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं0 01 लगा0. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फौत हुआ है, जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 05 व देशराज का हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रत्येक का 1/40,1/40 भाग अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 6,7 का हिस्सा कलमजन किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं. 6,7 का कुल 1/4 भाग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 7 के हिस्से मे से कम किया गया हिस्सा वादीगण व तर0प्रति0 के हिस्से मे बढाया जाकर वादी सं0 01 लगा. 04 प्रत्येक को 1/20,1/20 भाग का व हरचन्द पुत्र भोमाराम का स्वर्गवास हो गया की सूरत मे हरचन्द का नाम 1/20 भाग से कलमजन किया वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक को 1/60,1/60 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तर0प्रति0 सं0 10 लगा. 15 को प्रत्येक को 1/48,1/48 भाग का व प्रति. सं. 16,17 को कुल 1/4 भाग यानि प्रत्येक को 1/8,1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी विवादित वाके ग्राम कायसा के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादीगण को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

6. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए। लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई वादीगण ने अपने वाद की ताईद मे ताराचन्द पुत्र भोमारा का शपथपत्र पी0डब्लू0 01,दुर्गाप्रसाद पुत्र भगवानसिंह का शपथपत्र पी0डब्लू0 02,तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श 01,नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2042 प्रदर्श 02,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03,नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 04,नकल जमाबंदी संवत 2025 प्रदर्श 05,नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 06,नकल इंतकाल सं0 78 प्रदर्श 07,नकल जमाबंदी भूप्रबध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 08, नकल नोटिस धारा 80सीपीसी0 प्रदर्श 09,रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श 10 पेश की है।

7. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के सलंग्न नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 के अनुसार साबिक ख.नं. के हाल ख.नं. निम्न प्रकार कायम किए गए है:–

संवत 2042			
हाल	साबिक	हाल	साबिक
354/0.15	159मिन/0–15	355/0.06	159मिन———
542/0.14	258मिन/0–19	548/0.06	258मिन/———
549/0.09	258मिन/——	630/0.08	296मिन/0–18
631/0.09	296मिन/——	634/0.10	296मिन/———

नकल जमाबंदी संवत 2025 के अनुसार साबिक ख.नं. 159,258,296 का सुल्तान,मूलचंद,फूलचंद पिता भगवान संभाग 1/4 व भोमा,पोहकर ,सरदारा पिता रामरख संभाग 3/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल इंतकाल सं0 78 प्रदर्श 07 के अवलोकन से साबित है कि पोहकर पुत्र रामरिख द्वारा मूलचंद पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 2/3 व सुल्तानसिंह,मूलचंद पिता भगवानसिंह हिस्सा 1/3 को बेचान किया गया है। इंतकाल सं0 78 का अमल जमाबंदी संवत 2029 मे किया गया है। जिसमे भोमा,सरदारा पिता रामरिख 1/2,सुल्तान ,फूलचंद,मूलचंद पिता

अधिकारी
(अलवर)

भगवान 1/4,मूलचंद पुत्र भगवान 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2042 प्रदर्श 02 के अवलोकन से साबित है कि वादी सं0 01 लगा0 04 व वादी सं0 05 लगा0 07 व तर0प्रति0 10 लगा0 15 के बुजुर्गान का हिस्सा साबिक रिकॉर्ड अनुसार दर्ज नही किया गया है। तथा प्रतिवादी असल 01 लगा 7 के बुजुर्गान प्रतिवादीगण का हिस्सा बेशी दर्ज किया गया है। जो काबिले दुरूस्ती है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक व हाल रिकॉर्ड अनुसार वादीगण का वाद साबित होता है। वाद वादीगण कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

8. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण व तर0प्रति0 सं. 10 लगा. 15 विरूद्ध प्रतिवादीगण असल बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर आराजी हाल 354,355,542,548,549,630,631,634 वाके ग्राम हुडिया कलां तह0नीमराना का मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0 07 के हिस्से मे बढाया हुआ है को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं0 01 लगा0. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फौत हुआ है, जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 05 व देशराज का हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रत्येक का 1/40,1/40 भाग अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 6,7 का हिस्सा कलमजन किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं. 6,7 का कुल 1/4 भाग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 7 के हिस्से मे से कम किया गया हिस्सा वादीगण व तर0प्रति0 के हिस्से मे बढाया जाकर वादी सं0 01 लगा. 04 प्रत्येक को 1/20,1/20 भाग का व हरचन्द पुत्र भोमाराम का स्वर्गवास हो गया की सूरत मे हरचन्द का नाम 1/20 भाग से कलमजन किया वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक को 1/60,1/60 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तर0प्रति0 सं0 10 लगा. 15 को प्रत्येक को 1/48,1/48 भाग का व प्रति. सं. 16,17 को कुल 1/4 भाग यानि प्रत्येक को 1/8,1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

25/5/2023

मुकुन्द सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
475/2022	21.11.2022	25.05.2023

उनवान

1. बस्तीराम पुत्र भोमाराम जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र भोमाराम जाति अहीर
3. ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम जाति अहीर
4. ताराचन्द पुत्र भोमाराम जाति अहीर
5. विकास पुत्र हरचन्द पौत्र भोमाराम जाति अहीर
6. विपिन पुत्र हरचन्द जाति अहीर
7. शीला देवी पत्नी हरचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह.नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
2. अभयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
3. बसन्ती पत्नी सुल्तानसिंह जाति अहीर
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
5. विनोद कुमार पुत्र सुल्तानसिंह जाति अहीर
6. कमलेश देवी पत्नी मूलचन्द जाति अहीर
7. सुरेन्द्र पुत्र मुलचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना जिला अलवर।
8. उपपंजीयक,नीमराना।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

10. अजीत सिंह पुत्र फुलचन्द जाति अहीर
11. कृष्णा देवी पत्नी फुलचन्द जाति अहीर
12. मधुबाला पुत्री फुलचन्द जाति अहीर
13. यादव राजेन्द्र भाई पुत्र फुलचन्द जाति अहीर
14. शर्मिला पुत्री फुलचन्द जाति अहीर
15. सुमित्रा पुत्री फुलचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना जिला अलवर।
16. बिमला पुत्री सरदारा जाति अहीर
17. हरीसिंह पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासीयान हुड़िया कलां तह0 नीमराना।

तर0प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकारारहक व दुरूस्ती इंद्राज एंव हु0ई0 दवामी डिक्री अंतर्गत धारा 88,89,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:—

1. श्री मुकेश कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बहक वादीगण व तर0प्रति0 सं. 10 लगा. 15 विरूद्व प्रतिवादीगण असल बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर आराजी हाल 354,355,542,548,549,630,631,63A वाके ग्राम हुडिया कलां तह0नीमराना का मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0 07 के हिस्से मे बढाया हुआ है को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं0 01 लगा0. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फौत हुआ है, जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 05 व देशराज

का हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रत्येक का 1/40,1/40 भाग अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 6,7 का हिस्सा कलमजन किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं. 6,7 का कुल 1/4 भाग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 7 के हिस्से मे से कम किया गया हिस्सा वादीगण व तर0प्रति0 के हिस्से मे बढाया जाकर वादी सं0 01 लगा. 04 प्रत्येक को 1/20,1/20 भाग का व हरचन्द पुत्र भोमाराम का स्वर्गवास हो गया की सूरत मे हरचन्द का नाम 1/20 भाग से कलमजन किया वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक को 1/60,1/60 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तर0प्रति0 सं0 10 लगा. 15 को प्रत्येक को 1/48,1/48 भाग का व प्रति. सं. 16,17 को कुल 1/4 भाग यानि प्रत्येक को 1/8,1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीगराना

उपखण्ड अधिकारी
नीगराना (अलवर)